डिजिटल क्रांति से बदलता ग्रामीण समाज

—ललन कुमार महतो

ग्रामीण भारत के बदलते सामाजिक परिवेश में 'डिजिटल इंडिया' एक क्रांति के रूप में अग्रसित होने की संभावना है। 'डिजिटल इंडिया' के माध्यम से गांवों के लोगों में संचार क्रांति, वित्तीय समावेशन आदि क्षेत्रों में दूरगामी बदलाव आने की भी संभावना है। यदि सभी बच्चों को शिक्षा मिले, सभी को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हों, और पात्रता अनुसारिक लाभ बिना किसी भेदभाव, भ्रष्टाचार या मनमानी के प्राप्त हो, तो तंत्र की जवाबदेही और पारदर्शिता भी बढ़ेगी। 'डिजिटल इंडिया' कार्यक्रम निश्चित तौर पर वर्तमान समय की जरूरतों और दूरगामी सोच को ध्यान में रखते हुए विशाल स्तर पर तैयार किया गया संतुलित कार्यक्रम है, जो दीर्घावधि में सकारात्मक सामाजिक बदलाव की दिशा में उन्मुख होगा।

पारदर्शी, सरल और सुलभ प्रशासन किसी भी समाज, प्रदेश या राष्ट्र के बुनियादी विकास को नये स्तर पर ले जा सकता है। भारत जैसे विशाल लोकतंत्र में यदि प्रशासन की पहुंच हर नागरिक तक समान रूप से हो जाए और अंतिम छोर पर मौजूद व्यक्ति भी सामाजिक सुविधाओं का लाभ सुगमता के साथ उठा सके, तो सामाजिक बदलाव की एक सकारात्मक तस्वीर सामने आ सकती है। आज के दौर में सूचना प्रौद्योगिकी इतनी समर्थ है कि यह नागरिकों को घर बैठे ही तमाम सूचनाएं उपलब्ध करा सकती है और उन्हें उनका अधिकार दिलवा सकती है। यही वजह है कि केन्द्र सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी की इस ताकत को समाज के जीवन–स्तर को उन्नत और राष्ट्र को सशक्त बनाने के लिए 'डिजिटल इंडिया' कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम के माध्यम से सरकार ने संपूर्ण भारत को डिजिटल करने वाली नई क्रांति का सूत्रपात किया है। समाज के डिजिटल सशक्तीकरण के माध्यम से तैयार होने वाली ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के फलस्वरूप देश का विकास इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। कार्यक्रम से यह उम्मीद की जा रही है कि नागरिकों को सभी सरकारी सेवाओं की उपलब्धता मोबाइल व कम्प्यूटर के माध्यम से रीयल टाइम में सुनिश्चित की जा सकेगी। इस कार्यक्रम में मुख्य फोकस सरकारी गतिविधियों से आम जन के जुड़ाव का सशक्तीकरण करना और पारदर्शी तथा सहभागिता वाले प्रशासन को नया आयाम देना है।

'डिजिटल इंडिया' भारत सरकार की नई पहल है जिसका उद्देश्य भारत को डिजिटल लिहाज से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलना है। इसके तहत जिस लक्ष्य को पाने पर ध्यान

केन्द्रित किया जा रहा है, वह है भारतीय प्रतिभागी (आईटी) + सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) + कल का भारत (आईटी)। 'डिजिटल इंडिया' एक व्यापक कार्यक्रम है जो अनेक सरकारी मंत्रालयों और विभागों को कवर करता है। यह तरह–तरह के आइडिया और विचारों को एकल एवं व्यापक विज़न में समाहित करता है ताकि इनमें से हर विचार एक बड़े लक्ष्य का हिस्सा नजर आए। 'डिजिटल इंडिया' कार्यक्रम का समन्वयक डीईआईटीवाई द्वारा किया जाना है। वहीं इस पर अमल समूची सरकार द्वारा किया जाना है।

'डिजिटल इंडिया' का विज़न तीन प्रमुख क्षेत्रों पर केन्द्रित है–

- हर नागरिक के लिए उपयोगिता के तौर पर डिजिटल ढांचा,
- मांग पर संचालन एवं सेवाएं और
- नागरिकों का डिजिटल सशक्तीकरण।

हर नागरिक के लिए उपयोगिता के तौर पर डिजिटल ढांचे में ये उपलब्ध हैं–नागरिकों को सेवाएं मुहैया कराने के लिए एक प्रमुख उपयोग के रूप में हाईस्पीड इंटरनेट, डिजिटल पहचान अंकित करने का ऐसा उद्गम स्थल जो अनोखा, ऑनलाइन और हर नागरिक के लिए प्रमाणित करने योग्य है, मोबाइल फोन व बैंक खाते की ऐसी सुविधा जिसमें डिजिटल व वित्तीय मामलों में नागरिकों की भागीदारी हो सके, साझा सेवा केन्द्र तक आसान पहुंच, पब्लिक क्लाउड पर साझा करने योग्य निजी स्थान और सुरक्षित साइबर स्पेस।

सभी विभागों और न्यायालयों में मांग पर समेकित सेवाओं समेत शासन और सेवाओं, ऑनलाइन और मोबाइल प्लेटफार्म पर सही समय पर सेवाओं की उपलब्धता, सभी नागरकों को क्लाउड एड पर उपलब्ध करने का अधिकार है। डिजिटल तब्दील सेवाओं के द्वारा व्यवसाय में सहजता, इलेक्ट्रॉनिक और नकदी रहित वित्तीय लेन–देन, निर्णय सहायता सिस्टम और विकास के लिए जीआईएस का फायदा उठाना है।

नागरिकों को डिजिटल सशक्त बनाने के साथ में सार्वभौमिक डिजिटल साक्षरता, सर्वत्र सुगम डिजिटल संसाधनों/सेवाओं की भारतीय भाषाओं में उपलब्धता, सुशासन के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्मों और पोर्टेबिलिटी के सभी अधिकारों को क्लाउड के द्वारा सहयोगपूर्ण बनाना। शासकीय दस्तावेजों या प्रमाणपत्रों आदि को उनकी मौजूदगी के बिना भी भरा जा सकेगा।

इंटरनेट युग का आरम्भ और विस्तार

भारत जैसे विशाल लोकतंत्र में इंटरनेट ने आम जन को जागरूक करने की दिशा में एक सेतु का काम किया है। यदि इतिहास के पन्ने पलटें, तो नब्बे के दशक में भारत में अपनी दस्तक देने वाली वैश्विक इंटरनेट क्रांति को 'डिजिटल इंडिया' की पूर्व पीठिका कहा जा सकता है। 15 अगस्त,1995 को विदेश संचार निगम लिमिटेड (BSNL) के माध्यम से पहली बार इंटरनेट सुविधाएं प्रदान की गई और इसकी सफलता यह रही कि अगले 6 महीने में ही 10 हजार से अधिक लोग इस माध्यम से जुड़ गये। अगले एक दशक में यह अपने पंख इसलिए नहीं पसार सका, क्योंकि उस वक्त नेरोबैंड कनेक्शन के द्वारा डायल अप से इंटरनेट सुविधाएं मिलती थी और इसकी गति बहुत कम थी। इसके पश्चात् 56 किलोबाइट प्रति सेकंड की न्यूनतम गति से चलने वाला इंटरनेट 256 किलोबाइट प्रति सेकंड की न्यूनतम गति से दौड़ने लगा। इस बदलाव से देश में इंटरनेट सेवाओं का विस्तार हुआ और वर्ष 2010 में 3जी तथा उसके पश्चात् हाल ही में 4जी सेवा ने देश के आम जन तक इंटरनेट सेवाओं की आसान पहुंच को सुनिश्चित किया। इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन फॉर इंडिया की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2014 के अंत तक देश में 30 करोड़ से ज्यादा लोगों तक इंटरनेट की पहुंच है और उपभोक्ताओं की संख्या के मामले में देश दुनिया में अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर है।

वायरलेस इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क का विस्तार

कभी तारों के सहारे अंतिम छोर तक पहुंचने वाला इंटरनेट कनेक्शन आज उपभोक्ताओं को बेतार माध्यम से मिल रहा है। स्मार्टफोन की पहुंच अब ग्रामीण उपभोक्ताओं तक होने वाली है और वे भी आसानी से इंटरनेट सुविधाओं के साथ जुड़ गये हैं। 28 फरवरी,2015 तक के आंकड़ों को देखा जाए, तो देश में कुल मोबाइल फोन उपभोक्ताओं की संख्या 96 करोड़ से अधिक है। कुल जनसंख्या के हिसाब से यह आंकड़ा 77.58 प्रतिशत है और इस आधार पर भारत चीन के बाद दुनिया में दूसरे स्थान पर है। यदि स्मार्टफोन की बात की जाए, तो वर्ष 2013 में गूगल के 'अवसर मोबाइल प्लेनेट' ने स्मार्टफोन की पहुंच को लेकर विभिन्न देशों की एक सूची जारी की थी, जिसमें भारत 16.8 प्रतिशत के साथ 45वें स्थान पर था। इसके बाद देश में स्मार्टफोन क्रांति ने नया स्वरूप लिया। सही मायने में 'डिजिटल इंडिया' के उद्देश्यों की पूर्ति इसी क्रांति के माध्यम से हो सकती है। प्रधानमंत्री ने अनेक अवसरों पर कहा भी है कि स्मार्टफोन आपके हाथ में है, वह बड़ा शक्तिशाली है। उन्होंने नागरिकों से इसकी ताकत को पहचानने का आह्वान किया।

'डिजिटल इंडिया' और नागरिकों की विशिष्ट पहचान

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण विषय शामिल हैं। इसके तहत प्रत्येक नागरिक के लिए उपयोगी सेवा मुहैया कराने के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का सृजन किया

जाएगा। ऐसी बुनियादी सेवाओं के माध्यम से देश ज्ञान के एक ऐसे भविष्य की ओर उन्मुख होगा, जहां प्रशासन और सेवा हर मांग पर उपलब्ध होगी। ऐसे में प्रशासन की जवाबदेही और पारदर्शिता का सवाल काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भ्रष्टाचार को मिटाना भी अर्थव्यवस्था के लिए एक अहम मुद्दा है। इसी सोच के साथ बहूद्देशीय राष्ट्रीय पहचान–पत्र यानी आधार कार्ड को भी डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के साथ जोड़ा गया है। आधार कार्ड प्रत्येक नागरिक को 12 अंकों की एक विशिष्ट संख्या उपलब्ध कराता है। यह संख्या, भारत में कहीं भी व्यक्ति की पहचान और पते को निर्धारित करती है। आधार संख्या प्रत्येक व्यक्ति की जीवनभर की पहचान है। आधार संख्या से उन्हें बैंकिंग, मोबाइल फोन कनेक्शन और सरकारी व गैर–सरकारी सेवाओं की सुविधाएं प्राप्त करने में सुविधा मिलती है। यह सरल ऑनलाइन विधि से सत्यापन योग्य है। 'डिजिटल इंडिया' तकनीक आधारित क्रांति पर भरोसा करता है और तकनीकी की वजह से अब प्रत्येक क्षेत्र में जवाबदेही और पारदर्शिता में बढ़ोतरी हुई है।

वर्तमान सरकार के कार्यक्रम में 'पहल' योजना के अंतर्गत गैर–सब्सिडी जैसे अनुदान सीधे ही उपभोक्ता के बैंक खाते तक पहुंच रहे हैं। आधार संख्या की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है। केन्द्र के साथ ही विभिन्न राज्यों की सरकारों का प्रयास है कि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ उपभोक्ताओं को सीधे ही मिले और राशि सीधे उनके बैंक खातों तक पहुंचे। इसमें उपभोक्ता की पहचान को सुनिश्चित करने में आधार संख्या महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। 'डिजिटल इंडिया' कार्यक्रम के तहत ई–लॉकर व अन्य सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए भी आधार संख्या का होना आवश्यक है। ऐसे में आधार संख्या डिटिजल इंडिया की संकल्पना को आगे बढ़ाने में मील का पत्थर साबित हो रही है।

डिजिटल इंडिया और वित्तीय समावेशी योजनाएं

गत वर्ष अगस्त में लागू की गई 'प्रधानमंत्री जन धन योजना' का उद्देश्य भारत के नागरिकों को बुनियादी वित्तीय सेवाएं जैसे बैंक खाते और डेबिट कार्ड मुहैया कराना है। वित्तीय समावेशन के राष्ट्रीय मिशन को आगे बढ़ाने के लिए यह योजना शुरू की गई। योजना आर्थिक निरंतरता बढ़ाने और जनता को वित्तीय सेवाएं जैसे बैंक जमा खाते, कर्ज और बीमा प्रदान करने के लिए एक साधन के तौर पर तैयार की गई। यदि इसकी मूल भावना को देखा जाए तो यह भी डिजिटल इंडिया के लक्ष्यों का पूरा करती दिखाई देती है।

'मेरा खाता – भाग्य विधाता' के आदर्श वाक्य के साथ शुरू की गई इस योजना में भारतीय समाज में गरीब वर्ग के लिए सब्सिडी सुरक्षित करना, ओवरड्राफ्ट सुविधा और पेंशन योजना दीर्घकालिक लक्ष्यों में शामिल है। इसका उद्देश्य सन् 2018 तक 7.5 करोड़ परिवारों तक पहुंच बनाना है। यह योजना सरकारी कार्यालयों में किसी भी रूप में मौजूद भ्रष्टाचार से लड़ने के एक हथियार के तौर पर उपयोग के लिए बनी है। भारत की अधिकतर जनता के बैंक खाते होने पर सरकार की ओर से किसी भी प्रकार की राशि सीधे उनके खातों में हस्तांतरित की जा सकेगी, जिससे रिश्वत के मामलों पर काबू किया जा सकेगा। इस प्रकार देखा जाए तो यह योजना 'डिजिटल इंडिया' के सपने को साकार करने में सहयोगी है। 'डिजिटल इंडिया' के तहत अर्थव्यवस्था तेजी से 'कैशलेस' हो जाएगी और आशातीत बदलाव दिखाई देगा।

एक सर्वे के अनुसार प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत एक वर्ष के अंदर 17.5 करोड़ बैंक खाते खोले गए तथा 22,000 हजार करोड़ रुपये जमा हुए हैं। जम्मू–कश्मीर के कुछ इलाकों तथा नक्सली हिंसा से प्रभावित कुछ क्षेत्रों को छोड़कर प्रति परिवार एक खाता खोलने का लक्ष्य 26 जनवरी 2015 को हासिल कर लिया गया।

इस तरह की योजनाओं के पीछे केन्द्र सरकार की सोच यह है कि व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं का सीधा लाभ आम जनता तक पहुंचे और साथ ही तकनीक के इस्तेमाल से वातावरण तैयार हो सके, जो आम जन तक की पहुंच को सुनिश्चित करें। 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम को मजबूत बनाने में इस तरह की योजनाओं का अच्छा योगदान साबित होगा।

विकास के अवसर

एक लाख तेरह हजार करोड़ रुपये के इस महत्वाकांक्षी 'डिजिटल इंडिया' कार्यक्रम से किस तरह के सामाजिक बदलाव देखने को मिलेंगे, यह तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इसके परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्था को सशक्त करेंगे, यह बात निश्चित रूप से कही जा सकती है। इस कार्यक्रम के तीन मुख्य पहलू हैं – प्रत्येक नागरिक के लिए सुविधा के रूप में बुनियादी ढांचा, जैसे पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबल से जोड़ना, मोबाइल सेवाओं का विस्तार और मोबाइल से वित्तीय समावेशन। दूसरा, प्रशासन एवं इसकी सेवाओं को आम नागरिक तक पहुंचाना जिससे उन्हें लंबी कतारों, भ्रष्टाचार और मजदूरी के नुकसान से छुटकारा मिल सके और तीसरा, प्रौद्योगिकी के माध्यम से नागरिकों का सशक्तीकरण, जैसे–शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल का विकास, साथ ही कम्प्यूटर और मोबाइल पर भारतीय भाषाओं में काम करने को और आसान बनाना।

इस कार्यक्रम के तहत 2017 तक ढाई लाख पंचायतों सहित छह लाख गांवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने का सरकार का लक्ष्य है। अब तक इस योजना के तहत 55 हजार पंचायतें जोड़ी भी जा

चुकी हैं। साथ ही इसके तहत 1.7 लाख आईटी पेशेवर भी तैयार किए जाएंगे, इसके लिए केन्द्र सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक कौशल विकास योजना की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री की सोच यह भी है कि भारतीय किसानों को आईटी क्षेत्र से लाभ मिलना चाहिए। उनका कहना है कि कृषि उत्पादन, मृदा संबंधी विवरण और बिक्री मूल्य का विश्व की कीमतों के साथ तुलनात्मक अध्ययन कर इन तीनों को एक साथ जोड़ देना चाहिए। अगर हमारे पास बोये गये बीज संबंधी विवरण होगा तो हम उत्पादन के स्वरूप का पता लगा सकते हैं।

'डिजिटल इंडिया' कार्यक्रम के तहत भारत में सरकारी कर्मचारियों के तकनीकी रूप से उन्नयन का मार्ग भी प्रशस्त होगा। इस कार्यक्रम के तहत हर रिकॉर्ड को सहेजने के लिए डाटाबेस में हरेक विपणन रखना आवश्यक हो जाएगा, जिससे प्रदर्शन, सुरक्षा और रखरखाब को बेहतर किया जा सके। इस कार्यक्रम के गति पकड़ने से सभी विद्यालयों में सेंट्रल सर्वर की राह भी खुलेगी, जो सभी प्रकार की ई–प्रशिक्षण सामग्री से परिपूर्ण सेंट्रल क्लाउड से जुड़ा होगा। इसके अतिरिक्त समाज का हर क्षेत्र इस क्रांति से सकारात्मक रूप से प्रभावित होगा और समाज में व्यापक बदलाव देखने को मिलेगा।

डिजिटल इंडिया के स्तम्भ

डिजिटल इंडिया के 9 स्तम्भ हैं :–

ब्राडबैंड हाइवेज; सबकी फोन तक पहुंच; सार्वजनिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम; ई–गवर्नेंस–तकनीकी मदद से सरकारी तंत्र सुधार; ई–क्रांति सेवाओं की इलेक्ट्रानिक डिलीवरी; सभी को सूचना; इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण में शून्य आयात; नौकरियों के लिए; अर्ली हारवेस्ट प्रोग्राम (जल्दी पैदावार कार्यक्रम)

नौ प्रखण्ड स्तम्भों ब्रॉडबैंड हाइवेज सबसे प्रमुख है। सामान्य तौर पर ब्रॉडबैंड का मतलब दूरसंचार से है, जिसमें सूचना के संचार के लिए आवृत्तियों के व्यापक बैंड उपलब्ध होते हैं। इस कारण सूचना को कई गुना तक बढ़ाया जा सकता है और जुड़े हुए सभी बैंड को विभिन्न आवृत्तियों या चैनलों के माध्यम से भेजा जा सकता है। इसके माध्यम से एक निर्दिष्ट समय–सीमा में वृहत्तर सूचनाओं को प्रेषित किया जा सकता है। ब्रॉडबैंड हाइवे निर्माण से अगले तीन वर्षों के भीतर देशभर की ढाई लाख पंचायतों को इससे जोड़ा जाएगा और लोगों को सार्वजनिक सेवाएं मुहैया कराई जाएंगी। 'डिजिटल इंडिया' कार्यक्रम की सफलता इस तथ्य में निहित है कि भारतीय ग्रामीण आबादी भी इस तरह की सेवाओं का पूरा लाभ ले सके। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए देश के 55,000 गांवों में अगले 5 वर्षों के भीतर मोबाइल संपर्क की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए 20,000 करोड़ के यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (यूएसआएफ) का गठन किया गया है। इससे ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग के इस्तेमाल में आसानी होगी।

कार्यक्रम का एक लक्ष्य यह भी है कि भविष्य में सभी सरकारी विभागों तक आम आदमी की पहुंच बढ़ाई जाएगी। पोस्ट ऑफिस के लिए यह दीर्घावधि विज़न वाला कार्यक्रम हो सकता है। इस कार्यक्रम के तहत पोस्ट ऑफिस को मल्टी–सर्विस सेंटर के रूप में तब्दील किया जाएगा। नागरिकों तक सेवाएं मुहैया कराने के लिए यहां अनेक तरह की गतिविधियों को चलाया जाएगा।

प्रौद्योगिकी के द्वारा प्रशासन को जवाबदेह और संवेदनशील बनाने की दिशा में सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए बिजनेस प्रोसेस री–इंजीनियरिंग के ट्रांजेक्शंस में सुधार किया जाएगा। विभिन्न विभागों के बीच आपसी सहयोग और आवेदनों को ऑनलाइन ट्रैक किया जाएगा। इसके अलावा, स्कूल प्रमाणपत्रों, पहचान–पत्र का जरूरत के अनुसार ऑनलाइन इस्तेमाल किया जा सकेगा।

यह कार्यक्रम सेवाओं और मंचों के एकीकरण–आधार संख्या, पेमेंट गेटवे (बिलों के भुगतान) आदि में मददगार साबित होगा। साथ ही सभी प्रकार के डाटाबेस और सूचनाओं को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मुहैया कराया जाएगा। इसके अतिरिक्त ई–एजुकेशन के तहत सभी स्कूलो को ब्रॉडबैंड से जोड़ने, ढाई लाख स्कूलों को मुफ्त वाई–फाई की सुविधा मुहैया कराने और डिजिटल लिटरेसी कार्यक्रम की योजना है। किसानों के लिए रीयल टाइम कीमत की सूचना, नगदी, कर्ज, राहत भुगतान, मोबाइल बैंकिंग आदि की ऑनलाइन सेवा प्रदान करना भी इस कार्यक्रम में उद्देश्यों में शामिल है।

इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य के क्षेत्र में ऑनलाइन मेडिकल सलाह, रिकॉर्ड और संबंधित दवाओं की आपूर्ति समेत मरीजों की सूचना से जुड़े एक्सचेंज की स्थापना करते हुए लोगों को ई–हेल्थकेयर की सुविधा देना भी इस कार्यक्रम का एक स्तम्भ है। न्याय के क्षेत्र में ई–कोर्ट, ई–पुलिस, ई–जेल, ई–प्रॉसिक्यूशन की सुविधा, वित्तीय इंतजाम के तहत मोबाइल बैंकिंग माइक्रो–एटीएम कार्यक्रम आदि भी इसके अंतर्गत चलाये जाते हैं।

इस कार्यक्रम के तहत सूचना और दस्तावेज तक ऑनलाइन पहुंच भी कायम की जाएगी। इसके लिए ओपन डाटा प्लेटफॉर्म मुहैया कराया जाएगा, जिसके माध्यम से नागरिक सूचना तक आसानी से पहुंच सकेंगे। नागरिकों तक सूचनाएं मुहैया कराने के लिए सरकार सोशल मीडिया और वेब आधारित मंचों पर सक्रिय रहेगी। साथ ही नागरिकों और सरकार के बीच दोतरफा संवाद की व्यवस्था कायम की जाएगी।

'डिजिटल इंडिया' के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र से जुड़ी तमाम चीजों का निर्माण देश में ही किया जाएगा। इसके तहत

'नेट जीरो इंपोर्ट्स' का लक्ष्य रखा गया है ताकि 2020 तक आयात के मामले में आत्मनिर्भरता हासिल की जा सके। इसके लिए आर्थिक नीतियों में संबंधित बदलाव भी किए जाएंगे। फैब–लेस डिजाइन, सेटटॉप बॉक्स, वीसेट, मोबाइल, उपभोक्ता और मेडिकल इलेक्ट्रानिक्स, स्मार्ट एनर्जी मीटर्स, स्मार्ट कार्ड्स, माइक्रो–एटीएम आदि को बढ़ावा दिया जाएगा।

देशभर में सूचना प्रौद्योगिकी के प्रसार में रोजगार के अधिकांश प्रारूपों में इसका इस्तेमाल बढ़ रहा है। इसलिए 'डिजिटल इंडिया' कार्यक्रम के तहत इस प्रौद्योगिकी के अनुरूप कार्यबल तैयार करने को प्राथमिकता दी जाएगी। कौशल विकास के मौजूदा कार्यक्रमों को इस प्रौद्योगिकी से जोड़ा जायेगा। साथ ही संचार सेवाएं मुहैया कराने वाली कपंनियां ग्रामीण कार्यबल को उनकी अपनी जरूरतों के अनुसार प्रशिक्षित करेंगी। गांवों व छोटे शहरों में लोगों को आईटी से जुड़े रोजगार के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। आईटी सेवाओं से जुड़े कारोबार के लिए लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके लिए दूरसंचार विभाग को नोडल एजेंसी बनाया गया है।

'डिजिटल इंडिया' कार्यक्रम को लागू करने के लिए पहले कुछ बुनियादी ढांचा बनाना होगा यानी इसकी पृष्ठभूमि तैयार करनी होगी। साथ ही, इसके लिए कुशल श्रमशक्ति की भी जरूरत पड़ेगी जिसे तैयार करना होगा। इसे अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम के अंतर्गत स्थान दिया गया है।

डिजिटल भारत कार्यक्रम के तहत कई मौजूदा योजनाओं के साथ मिलकर कार्य करना है, जिसके दायरों को पुर्नगठित और पुर्नकेन्द्रित किया गया है। क्लाउड, मोबाइल इत्यादि तकनीकी को बढ़ावा देना, परिवर्तनकारी प्रक्रिया पुनर्रचना और प्रक्रिया में सुधार पर ध्यान केन्द्रित करना, अंत–प्रचालनीय उपक्रम और एकीकृत सेवा प्रदान करने के मानकों पर आधारित है और इसे समकालिक ढंग से लागू किया जाएगा। डिजिटल इंडिया के माध्यम से ''मेड इन इंडिया'' इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों, उत्पादकों और सेवाओं के पोर्टफोलियो को भी बढ़ावा देना और देश में युवाओं के लिए रोजगार की संभावना को बढ़ावा देना शामिल है।

'डिजिटल इंडिया' की चुनौतियां

'डिजिटल इंडिया' के रास्ते में सबसे बड़ी चुनौती मानव संसाधन की कमी की आएगी। देश में जितना मानव श्रम सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नियोजित है, उसे कई गुना बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। इसके अलावा, वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था भी देश के सामने किसी चुनौती से कम नहीं। नेसकॉम के मुखिया चन्द्रशेखर का कहना है कि देश की सभी ढाई लाख पंचायतों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने के लिए 20,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का खर्च आ सकता है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था व्यापक रूप से प्रभावित हो सकती है। तीसरी बड़ी चुनौती विभिन्न विभागों के बीच आपसी समन्वय की है। केन्द्र सरकार का दावा है कि इतने व्यापक पैमाने पर इससे विशाल कार्यक्रम पहले कभी नहीं चलाया गया है। इसमें केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के विभिन्न विभाग एक–दूसरे के सहयोगी और सहभागी हैं और उन्हें आपसी समन्वय कर इस कार्यक्रम को सफलता के शिखर पर पहुंचाना होगा। यह कार्य मुश्किल अवश्य है, लेकिन असंभव नहीं।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार व अधिवक्ता हैं।)
ई–मेलः lalan_kumar@yahoo.com

सदस्यता कूपन

मैं/हम**कुरुक्षेत्र** का नियमित ग्राहक बनना चाहता हूं/चाहती हूं/चाहते हैं।
शुल्क : एक वर्ष के लिए 100 रुपये, दो वर्ष के लिए 180 रुपये, तीन वर्ष के लिए 250 रुपये का
(जो लागू नहीं होता, उसे कृपया काट दें)
डिमांड ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर क्रमांक ..... दिनांक ..... संलग्न है।
कृपया ध्यान रखें, आपका डिमांड ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर अपर महानिदेशक, प्रकाशन विभाग के नाम नई दिल्ली में देय हो।
नाम (स्पष्ट अक्षरों में) .....
पता .....
..... पिन .....
इस कूपन को काटिए और शुल्क सहित इस पते पर भेजिए :

विज्ञापन और प्रसार प्रबंधक

प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, कमरा नं. 48–53, सूचना भवन, सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, लोधी रोड,
नई दिल्ली – 110003